

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 9720  
प्रार्थीगण

दिनांक - 10.12.25

बनाम

अप्रार्थीगण

1 उदाराम पुत्र सोनाराम 2  
जेताराम पुत्र बागाराम 3  
जीयाराम पुत्र उमाराम 4  
देवाराम पुत्र वागाराम 5  
नरेन्द्र कुमार 6 पीराराम  
पिसरान बागाराम 7  
हनुमानराम पुत्र उमाराम  
जाति जाट निवासी डूडियों  
का ढाणी रावतसर तहसील  
बाड़मेर ग्रामीण जिला  
बाड़मेर।

1 कंवराराम पुत्र धन्नाराम 2 चनणाराम पुत्र कंवराराम 3 पन्नाराम पुत्र  
जुंजाराम 5 पीराराम 6 पोकराराम पिसरान रामाराम 7 खेमाराम 8  
पोकराराम 9 भैराराम पिसरान रायमलराम 10 जेठाराम 11 देराजराम 12  
हीराराम पिसरान भीकाराम 13 गुमनाराम 14 तिलोकाराम पुत्र मूलाराम 15  
थानाराम पुत्र रामाराम 16 भंवराराम पुत्र मूलाराम 17 नेनाराम पुत्र  
भगवानाराम 18 खेराजराम 19 चूनाराम 20 पुंजाराम 21 भंवराराम पिसरान  
मेगाराम 22 रानी पत्नि मेगाराम 23 राम कुमार पुत्र मेगाराम 24 खेताराम  
26 मूलाराम 27 हरचन्द्रराम पिसरान जेठाराम 28 चुनीदेवी पत्नि तजाराम  
29 भैराराम पुत्र ताजाराम 30 मालाराम 32 मोमताराम 33 मोहनलाल  
पिसरान ताजाराम 34 हथू पत्नि मालाराम 35 देराजराम पुत्र कालूराम 36  
पाबूराम पुत्र पूरखाराम 37 बींजाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी  
भोमोणी डूडियों की ढाणी, रावतसर तहसीला बाड़मेर ग्रामीण जिला  
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी  
बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :- 768/2025

दिनांक- 01/12/2025

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा डूडियों का ढाणी पटवार हल्का बेरीवाला तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1109 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या 1110 रकबा 3.1889 हैक्टेयर, भूमि व मौजा रावतसर दक्षिण पटवार हल्का रावतसर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1011 रकबा 8.9759 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या 1012 रकबा 5.2042 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर

दिनांक

10.12.25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 9721-24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बेरीवाला तला व पटवारी रावतसर तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी उदाराम पुत्र सोनाराम वगैराह जाति जाट निवासी डूडियों की ढाणी, रावतसर तहसीला बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण कंवराराम पुत्र धन्नाराम वगैराह जाति जाट निवासी भोमोणी डूडियों की ढाणी, रावतसर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर

दिनांक